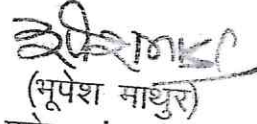


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)
क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वि-394/2011) /अलेसे-11/491-95 दिनांक :- 06-07-2022

आदेश

श्री. विजय अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा वाहन भत्ता स्वीकृति के लिए निदेशालय में दिनांक 07.06.2022 को आवेदन किया है। श्री अग्रवाल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित विकलांगता प्रमाण पत्र क्रमांक 85/2000 दिनांक 25.07.2006 की प्रति एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र क्रमांक 46 दिनांक 09.10.2020 प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार इनकी विकलांगता 60 प्रतिशत है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(4)एफडी(ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 एवं समय-समय पर संशोधित आदेशानुसार 40 प्रतिशत स्थायी आंशिक विकलांगता पर वाहन भत्ता स्वीकृति योग्य है। अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6(6)एफडी/नियम/2010 दिनांक 30.05.2022 के क्रम में श्री अग्रवाल को आवेदन की दिनांक 07.06.2022 से मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम 1200/- रुपये प्रतिमाह) वाहन भत्ता एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

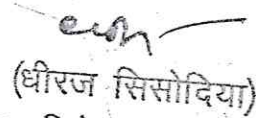

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वि-394/2011) /अलेसे-11/491-95 दिनांक :- 06-07-2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेड़ता सिटी (नागौर)।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, मेड़ता, नागौर को प्रेषित कर निवेदन है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका में तदानुसार इन्द्राज करवाकर भुगतान करना सुनिश्चित करावें।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विजय अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (नागौर)।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)